

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक : 13.11.17

विषय-

डा० शोभा सिन्हा, ऐच्छिक सेवा निवृत्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शोखपुरा, पटना को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

आदेश-

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार बिहार, पटना के पत्रांक जी०ई०-02 SA-XIX-18-456 दिनांक 11.08.2017 के आलोक में डा० शोभा सिन्हा, ऐच्छिक सेवा निवृत्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शोखपुरा, पटना को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान स्वीकृति दी जाती है ।

- 2) इसमें विभागीय कार्यालय आदेश सं०-163(5) दिनांक 14.02.2017 एवं 307(5) दिनांक 18.03.17 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत विशेष सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- 3) डा० शोभा सिन्हा, ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि 13.07.2017 है ।
- 4) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अपने स्तर पर डा० शोभा सिन्हा के सभी तरह का बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 3/एल-6-1-04/2017- 674 (3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 13.11.17


प्रतिलिपि: निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शोखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोशागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० शोभा सिन्हा, काशीपुर चौक (हनुमान मंदिर के निकट), पोस्ट+थाना-समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, पिन-848101, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,8 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी